न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 179/2019

विजय कुमार विजयवर्गीय पुत्र श्री जवाहरदास विजयवर्गीय जाति महाजन निवासी जयपुर

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार दौसा दिनांक 28.6.2019 जो मुकदमा नंबर 4/2019 उनवानी सरकार बनाम विजय कुमार धारा 91 एल.आर.एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से

2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

दिनांक 14.8.2024

निर्णय

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनाक 28.6.2019 को ग्राम जीरोता कलां के आ0ख0न0 65 रकबा 0.19है. किस्म नहरी (चरागाह) भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं लगान के 50 गुना शास्ति का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोड़ेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागंण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि पटवारी हल्का ने अपीलांट के विरूद्ध एक निहायत झूंठी रिपोर्ट तहसीलदार दौसा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलांट ने संवत 2076 में ग्राम जीरोता कलां के खसरा नंबर 65 रकबा 0.19है. पर पक्का निर्माण कर सडक बनाकर नवीन निर्माण किया है जिस पर अपीलांट को विधिवत सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई पटवारी हल्का की साक्ष्य लिये बिना व बिना जिरह का मौका दिये बिना व बिना मौका रिपोर्ट लिये बिना व सिंचाई विभाग को पक्षकार बनाये बिना व बिना सिंचाई विभाग को सुने बिना अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज करके दिनांक 28.6.2019 को अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश एवं शास्ति 143रू0 आरोपित कर दी तथा भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को अतिक्रमित रकबे से अतिक्रमण हटवाया जाकर पालनां रिपोर्ट देने का आदेश दे दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश विधि विरूद्ध प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व अपीलांट की विधिवत तामील न होने के बावजूद भी अपीलांट की जानकारी में आ जाने के बाद भी अपीलांट के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 12 बजे उपस्थित आ जाने के बावजूद भी अपीलांट की उपस्थिति दर्ज न करके और अपीलांट के अधिवक्ता का वकालतनामा न लेकर कानून के विपरीत जाकर अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज करके उक्त निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि नहरी चरागाह बताकर और अपीलांट के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर दी जबकि उक्त भूमि चरागाह भूमि नहीं है। अपीलांट के विरूद्ध पूर्व से ही धारा 91 की कार्यवाही नायब तहसीलदार दौसा के यहॉं चल रही है जिसका मु.नं0 3/2018 है और उक्त मुकदमें में तारीख पेशी दिनांक 28.6.2019 नियत थी। एक ही रिपोर्ट के बारे में दो भिन्न भिन्न केस नहीं चल

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:48 IST
Reason: SelfAttested

Devendra

जिला कलेक्टर, दौसा

सकते लेकिन अधीनस्थ तहसीलदार दौसा ने पूर्व में उक्त भूमि के चल रहे प्रकरण पर कोई आदेश पारित नहीं किया तथा यह नया प्रकरण बनाकर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट ने उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि उक्त भूमि में रास्ता बना हुआ है जो कई गांवों को जाता है। उक्त रास्ते में होकर लोग आते जाते है। उक्त रास्ता 50 वर्षों से बना हुआ है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का गलत आधार पर अतिक्रमण मानकर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय करने से पूर्व सिंचाई विभाग के अधिकारी एवं पटवारी हल्का को मय रिकार्ड साक्ष्य में तलब करना चाहिए था किन्तु किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कार्यवाही न करके निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा दिनांक 28.6.2019 निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का जीरोताखुर्द द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। धारा 91 के जारी नोटिस को अपीलांट के प्रतिनिधि के द्वारा प्राप्त किया गया है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2076 में राजकीय चरागाह (नहरी) भूमि खसरा नंबर 65 रकबा 0.19है. पर पक्कां निर्माण (सडक बनाकर) अतिचार किया है। पंटवारी रिपोर्ट की कैफियत में नया निर्माण होना अंकित किया है। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 65 रकबा 0.05है. पर संवत 2075 में अतिचार किया गया था जिसकी नायब तहसीलदार दौसा के न्यायालय में पृथक से धारा 91 का प्रकरण विचाराधीन है। अप्रीलांट द्वारा राजकीय चरागाह (नहरी) भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के कब्जा किया जाना सिद्ध होता है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत तरीके से बाद सुनवाई पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

5. उंभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अपीलार्थी द्वारा मुख्यतः निम्न बिन्दुओ पर यह अपील प्रस्तुत की गई है कि

   6.1 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर न देते हुए एवं बिना विधिवत तामील हुए प्रकरण में आदेश पारित किये गये है।

   6.2 पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि नहरी(चरागाह) बताकर रिपोर्ट पेश की गई है जबकि भूमि चरागाह नहीं है।

   6.3 उक्त भूमि पर पूर्व में नायब तहसीलदार के यहॉ मुकदमा नं0 3/2018 चल रहा है जिसमें तारीख 28.6.2019 नियत थी एवं एक ही रिपोर्ट के बारे में 2 केस नहीं चल सकते है।

   6.4 अधीनस्थ न्यायालय को सिंचाई विभाग के अधिकारी से रिकार्ड साक्ष्य तलब करने चाहिए थे एवं उसके उपरांत निर्णय किया जाना चाहिए था।

   6.5 अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है।

7. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का जीरोताखुर्द द्वारा दिनांक 10.6.2019 को प्रस्तुत की गई जिसमें उनके द्वारा विजय कुमार पिता. जवाहरदास महाजन को खसरा संख्या 65 रकबा 0.19है. किस्म नहरी (चरागाह) पर अनाधिकृत कब्जा काश्त किये जाने के कारण तहसीलदार दौसा को कानूनी

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:48 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया। उक्त रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई जिनके द्वारा पटवारी रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त की। इसके उपरांत श्री विजय कुमार पुत्र जवाहर दास के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 10.6.2019 को जारी किये गये। जिन्हें दिनांक 12.6.2019 को विधिवत तामील किया गया। इसके उपरांत दिनांक 24.6.2019 को गैर सायल के अनुपस्थित रहने के कारण पुनः 24.6.2019 को नोटिस जारी किये गये है जिन्हें 27.6.2019 को तामीली करवाई गई। इसके उपरांत 28.6.219 को गैर सायल के अनुपस्थित रहने के कारण तहसीलदार द्वारा निर्णय लिखाया जाकर आदेश सुनाये गये। जिसमें गैर सायल श्री विजय कुमार को खसरा नंबर 65 रकबा 0.19है. किस्म चरागाह नहरी पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के आदेश दिनांक 28.6.2019 को पारित किये गये। अतः हम अपीलांट के इस बात से सहमत नहीं है कि उन्हें बिना तामीली के एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किये गये है, जबकि उन्हें दो बार सुनवाई के अवसर प्रदान किये जा चुके है।

8. जहॉ तक अपीलांट का यह तर्क है कि भूमि चरागाह नहीं है तो इस संबंध में जमाबंदी खाता सं0 156 पुराना खाता 149 (दिनांक 01 जुलाई 2020 की स्थिति में) पटवार हल्का जीरोता खुर्द तहसील दौसा में खसरा सं. 65 (संवत 2076) रकबा 0.19है. का भूमि वर्गीकरण नहरी के रूप में दर्ज है जिसके भूमिधारक राज0 सरकार है एवं काश्तकार के रूप में चरागाह दर्ज है। अतः उक्त भूमि नहरी चरागाह के रूप में दर्ज है। इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध है कि उक्त भूमि किसी काश्तकार के नाम न दर्ज होकर राजकीय भूमि है जिस पर तहसीलदार दौसा को अतिक्रमण होने की स्थिति में धारा 91 के तहत उसे हटाये जाने की शक्तियां निहित है।

9. जहॉ तक उक्त वादग्रस्त भूमि का पूर्व में नायब तहसीलदार के यहॉ प्रकरण लंबित होने के संबंध में तर्क है तो इस संबंध में उक्त प्रकरण नायब तहसीलदार के यहॉ विजय कुमार पुत्र जवाहर दास द्वारा वादग्रस्त भूमि पर संवत 2075 खसरा सं. 65 रकबा 0.19है. पर पटवारी द्वारा की गई अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.5.2018 के संदर्भ में दर्ज किया गया था। इसके उपरांत पटवारी हल्का द्वारा संवत 2076 में पुनः उक्त अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण करने के कारण दिनांक 10.6.2019 को रिपोर्ट न्यायालय तहसीलदार दौसा में प्रस्तुत की गई जिस पर तहसीलदार दौसा द्वारा अपने आदेश सं0 04/2019 दिनांक 28.6.2019 द्वारा बेदखली के आदेश प्रदान किये गये। इन आदेश पर जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 31.7.2019 को स्थगन आदेश पारित किये गये जिन्हें दिनांक 17.11.2021 को अपास्त कर दिया गया। चूंकि प्रकरण में विवादित आराजी को लेकर वर्तमान में कोई स्थगन आदेश नहीं है एवं तहसीलदार दौसा का निर्णय दिनांक 28.6.2019 उक्त भूमि पर संवत 2076 में किये गये अतिक्रमण के संबंध में है एव ना कि संवत 2075 के अतिक्रमण के संबंध में है (जो कि नायब तहसीलदार के यहॉ लंबित था) अतः तहसीलदार द्वारा पारित किये गये निर्णयं पर नायब तहसीलदार न्यायालय में लंबित प्रकरण का कोई प्रभाव नहीं होगा।

10. जहॉ तक सिंचाई विभाग से जवाब एवं रिकार्ड तलब किये जाने के संबंध में तर्क है तो सिंचाई विभाग उक्त खसरे के संबंध में [illegible] के रूप में दर्ज नहीं है। अतः तहसीलदार को सिंचाई विभाग [illegible] कोई विधिक आवश्यकता नहीं है।

11. जहॉ तक अपीलांट के उक्त [illegible] होने के संबंध में बिन्दु है तो इस संबंध में पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 10.6.2019 जिसकी जांच गिरदावर द्वारा भी की गई थी, से सिद्ध होता है कि अपीलांट ने उक्त भूमि पर अतिक्रमी के रूप में अनाधिकृत कब्जा किया गया है। अपीलांट द्वारा इसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का साक्ष्य या सबूत

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:48 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

नहीं प्रस्तुत किया गया है। अतः हम इस बात से असहमत हैं कि अपीलांट का उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं है।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.6.2019 जो कि सरकार बनाम विजय कुमार में पारित किया गया है को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 14 अगस्त, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:48 IST
Reason: SelfAttested